

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2960 / 12-1 (1)
सेवा में,

दिनांक, देहरादून, जून, 03, 2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषय: जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग विस्तार) (लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 4.5375 है० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD/ 16974 / 2015
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ने अपने कार्यालय पत्रांक 2096 / 12-1 दिनांक 2-6-2016 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग विस्तार) के निर्माण (लम्बाई 5.00 कि०मी०) हेतु अपेक्षित 4.5375 है० वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	काटे जाने वाले वृक्षों की सं०	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5		6
टौन्स वन प्रभाग/ कोटीगाड़ रेंज	आरक्षित वन भूमि थुनारा क०न० 1 व 2	4425 X 9	3.9825	167	149	बांज वृक्ष नहीं हैं
	सिविल वन भूमि मौजा थुनारा	325 X 9	0.2925	शून्य	—	बांज वृक्ष नहीं हैं
	मक डिस्पोजल हेतु आरक्षित / सिविल वन भूमि	350 X 7.5	0.2625	—	—	
	योग वन भूमि		4.5375	167	149	रिक्त
चकराता वन प्रभाग / रीवर रेंज	नाप भूमि— ग्राम बजन तथा पुरटाड़	250 X 9	0.2250	—	—	0
	कुल योग वन भूमि	5000मीटर 350 X 7.5	4.5375	167	149	रिक्त

प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि में 167 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें 149 वृक्ष काटे जाने सूचित हैं। तथा प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि में बांज प्रजाति के वृक्ष बाधित नहीं हैं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के द्वारा वांछित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक—यथोपरि ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 2960 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स को उनके पत्रांक 2096 / 12-1 दिनांक 2-6-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग विस्तार) (लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 4.5375 है० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	प्रस्तावित मार्ग जो वन भूमि से होकर गुजरेगा के समरेखण में 167 वृक्ष प्रभावित होंगे जिसमें 149 वृक्ष काटे जाने सूचित हैं। मार्ग के समरेखण में बांज प्रजाति के वृक्ष बाधित सूचित नहीं है। प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक — 03 जून, 2015
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर०के०मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
समुदाय वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

